रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1031] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 22, 2008/आषाढ़ 31, 1930
No. 1031] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 22, 2008/ASADHA 31, 1930

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2008

का.आ. 1761(अ).—जबकि केन्द्र सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अपनी दिनांक 1 मई, 2008 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1070(अ) के अनुसार तटीय प्रबंध जोन के प्रारूप (जहां इसे इसके बाद उक्त अधिसूचना कहा जाएगा) को अधिसूचित किया था जिसमें उक्त अधिसूचना में निहित प्रस्तावों पर उक्त अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर अर्थात् 30 जून, 2008 तक आपत्तियां अथवा सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और जबकि केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों तथा स्टेकहोल्डरों की ओर से अनेक अभ्यावेदन और अनुरोध प्राप्त हुए हैं जिनमें आपत्तियां अथवा सुझाव मांगने की समय सीमा को बढ़ाने के लिए कहा गया है;

और जबकि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों और स्टेकहोल्डरों द्वारा व्यक्त चिंताओं पर विचार करते हुए लोकहित में उक्त अधिसूचना को पुनः प्रकाशित करने तथा इसमें निहित प्रस्तावों से प्रभावित जनता को इस अधिसूचना के पुनः प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर अपने सुझाव और आपत्तियां देने के अवसर प्रदान करने का निर्णय किया है;

अतः अब पर्यावरण (सुरक्षा) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986, (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (V) और उप-खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके फलस्वरूप प्रभावित होने वाली जनता की सूचना के लिए एक अधिसूचना जारी करने का विचार रखती है जो कोस्टल मैनेजमैंट जोन (सी एम जैड) के नाम से जानी जाएगी और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त अधिसूचना के प्रारूप पर केन्द्र सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिनों की अवधि समाप्त होने की तारीख को और इसके बाद विचार किया जाएगा ।

कोई भी व्यक्ति जो अधिसूचना के प्रारूप में निहित प्रस्तावों पर कोई आपत्ति अथवा सुझाव देने का इच्छुक है तो वह इसके लिए विशेष रूप से निर्धारित अवधि में सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी.जी.ओ. काम्प्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को डाक द्वारा लिखित रूप से अथवा इलैक्ट्रानिक माध्यम से ई-मेल एड्रैस : secy@menf.nic.in द्वारा ऐसा कर सकता है ।

प्रारुप अधिसूचना

ज़बकि, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में भारत सरकार ने दिनांक 19 फरवरी 1991 के का.आ. सं0 114 (ई) के तहत के तटीय विनियम जोन अधिसूचना जारी की थी जिसके अंतर्गत तटीय क्षेत्रों को तटीय विनियम जोन घोषित किया गया था और उपर्युक्त जोनों की सुरक्षा के लिए उद्योगों की स्थापना, उनके प्रचालन तथा उद्योग संबंधी क्रियाकलापों पर प्रतिबंध लगाया गया था ;

और जबकि उपर्युक्त अधिसूचना में विभिन्न समितियों, न्यायिक घोषणाओं, राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों तथा आम जनता आदि से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर समय-रामय पर उपर्युक्त अधिसूचना के मूल उद्देश्यों के अनुरुप संशोधन किया गया है ।

और जबकि तटीय क्षेत्रों के सतत विकारा तथा तटीय संसाधनों के संरक्षण हेतु इरा अधिसूचना के प्रभावी कार्यान्वयन में लगातार आ रही कठिनाइयों को देखते हुए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने प्रो0 एम.एरा. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में दिनांक 19 जुलाई, 2004 के आदेश सं0 15(8)/2004-आईए-।।। के तहत एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था । पूर्ववर्ती रामितियों के निष्कर्षों और सिफारिशों , न्यायिक घोषणाओं , विभिन्न स्टेकहोल्डरों रो प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिसूचना तथा इसमें में किए गए रांशोधनों की व्यापक समीक्षा करने के लिए तथा आवश्यक होने पर तटीय जोन प्रबंधन के सुस्थापित वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरुप तटीय विनियम ढांचा तैयार करने के क्रम मेंउपुर्यक्त संशोधनों का सुझाव देने हेतु इस विशेषज्ञ समिति में पर्यावरणीय कानून , समुद्री जैवविविधता, रामुद्री भू-विज्ञान, पर्यावरणीय आर्थिकी, सामाजिक आर्थिकी, दूरसंवेदी, तटीय अभियांत्रिकी, शहरी आयोजना तथा समुद्री मत्स्य पालन से जुड़े क्षेत्रों रो संबंधित विशेषज्ञों को शामिल किया गया है ।

और जबकि उपर्युक्त विशेषज्ञ समिति ने फरवरी, 2005 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी । समिति ने मौजूदा विनियम और संस्थागत अवसंचनाओं को सुदृढ़ करने तथा तटीय जोन के राजीव और निर्जीव संसाधनों में वृद्धि करके, तटीय जीवों की सुरक्षा करते हुए तथा विकट मौराम तथा भू-वैज्ञानिक घटनाओं से उत्पन्न जोखिमों से अवसंरचनाओं की सुरक्षा करते तथा तटीय जनरांख्या की आजीविका को रुनिश्चित करते हुए तटीय रांराधनों के रांरक्षण तथा उनके प्रबधन में सुधार के लिए अन्तरालों को भरने की विशिष्ट सिफारिशें की थीं ।

और जबकि केन्द्र सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने उपर्युक्त रिपोर्ट और रिपोर्ट में दी गई सभी सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् उन्हें कार्यान्वयन हेतु सिद्धांत रुप से स्वीकार करने का निर्णय किया है ।

और जबकि उर्पयुक्त निर्णय के अनुसार केन्द्र सरकार का विचार तटीय संसाधनों और तटीय पर्यावरण का संरक्षण और उसकी सुरक्षा करने तथा प्राकृतिक खतरों के कारण तटीय जनसंख्या और अवसंरचाओं को जोखिम से बचाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपर्युक्त तटीय विनियमन ज़ोन अधिसूचनाओं को 1991 के अधिक्रमण के द्वारा तटीय जनसंख्या की आजीविका सुनिश्चित करने तथा तटीय और समद्री क्षेत्रों में गतिविधियों के प्रबंधन और नियंत्रण हेतु एक नया ढांचा लाने का है ।

अत: अब पर्यावरण (सुरक्षा) नियमावली 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा 2 की उपधारा 1 और खंड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 19 फरवरी, 1991 के का.आ. 114 (ई) द्वारा प्रकाशित अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए, केवल उन मामलों को छोड़कर जिन्हें उक्त अधिक्रमण से पूर्व निष्पादित किया गया है, अथवा निष्पादित करने के लिए छोड़ दिया गया है, केन्द्र रारकार का उक्त अधिसूचना रो प्रभावित होने वाली जनता को सूचित करने के लिए तटीय प्रबंधन ज़ोन (सी एम जैड) अधिसूचना, 2008 जारी करने का विचार है , नामश: -

1. (i) इस अधिसूचना को तटीय प्रबंधन जोन अधिसूचना, 2008 कहा जाए ।

(ii) यह अधिसूचना रारकारी राजपत्र में इसके अंतिम रुप रो प्रकाशन की तारीख से लागू होगी ।

2. उद्देश्य

इस अधिसूचना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति तट की संवेदनशीलता, स्थानीय समुदायों के लिए सतत जीविका रुरक्षा और पारिस्थितिकीय तथा सांरकृतिक रुप से महत्वपूर्ण तटीय संसाधनों के रांरक्षण को ध्यान में रखकर उचित वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित सतत तटीय जोन प्रबंधन प्रणालियों द्वारा तटीय क्षेत्रों और रामुद्री पर्यावरण की सुरक्षा और सतत विकारा करना है ।

3. **परिभाषाएं:-** इरा अधिसूचना में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न किया गयाहो :-

(क) ' **तटीय जोन** ' का तात्पर्य है इसके समुद्र तल , तट के साथ लगा हुआ भू क्षेत्र और इसके तल सहित ज्वार भाटा रो प्रभावित अंतर्देशीय जलपिंडों , स्थानीय स्वशारान अथवा रामुद्र तट से लगे हुए स्थानीय

प्राधिकरण की लैंड वार्ड बाउंड्री तक, बशर्ते कि पारिस्थितिकीय और सांस्कृतिक रुप से संवेदनशील क्षेत्रों के मामले में, जैसा कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, उस क्षेत्र की संपूर्ण जैविक और वास्तविक बाउंड्री को शामिल किया जा सकता है, को शामिल करते हुए उस प्रादेशिक जल सीमा (उचित बेसलाइन से नापे गए 12 समुद्री मील) तक का क्षेत्र ।

(ख) '**एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन (आई सी जेड एम)**' का तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसके द्वारा तटीय जनसंख्या के बचाव और तटीय या समुद्री क्षेत्रों की अवसंरचना, सुरक्षा तथा संरक्षण और संसाधन तथा सतत विकास के लिए निर्णय लिए जाते हैं ।

(ग) '**एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन योजना**' एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन के कार्यान्वयन हेतु तैयार की गई एक लैंडयूज योजना अथवा विकासात्मक योजना है ।

(घ) '**स्थानीय स्वशासन अथवा स्थानीय प्राधिकरण**' का आशय किसी ग्राम पंचायत, अथवा शहरी स्थानीय निकाय अथवा किसी अन्य निकाय अथवा प्राधिकरण से है चाहे उसे किसी नाम से कहा जाए, उसे कानून द्वारा आवश्यक सेवाएं प्रदान करने अथवा नागरिक सेवाओं के नियंत्रण और प्रबंधन के साथ समुद्र तट के साथ बड़े विशिष्ट स्थानीय क्षेत्र अथवा ज्वारीय क्रियाओं वाले इनलैण्ड टाइडल वाटर को हाल ही के लिए शामिल किया है ।

(ड.) "**सैटबैक लाइन का आशय**' समुद्र तल में वृद्धि के प्रति संवेदनशीलता के आधार पर तटीय क्षेत्र के निकट डिमार्क की गई लाइन तथा परिशिष्ट-I में इस अधिसूचना में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बाढ़ों और समुद्री लाइन के परिवर्तनों से होगा ;

(च) '**पारिस्थितिकीय रुप से संवेदन**' क्षेत्र पारिस्थितिकीय रुप से संवदेनशील क्षेत्र वे क्षेत्र है जो तटीय क्षेत्र की कार्यात्यक अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है जो कि तटीय खतरों के प्राकृतिक बैरियर के रुप में कार्य करते हैं और अथवा विविध जैवविविधता पैदा कर रहे है और जो स्थानीय लोगों को महत्वपूर्ण संसाधन उपलब्ध करवा रहे हैं ।

4. **तटीय जोन का वर्गीकरण:-** प्रबंधन और विनियमन के उद्देश्य से तटीय जोन को चार श्रेणियों में बांटा जाएगा, नामश:-

(i) तटीय प्रबंधन जोन-I (सी एम जेड-II) में पारिस्थितिकीय रुप से संवेदनशील क्षेत्रों के रुप में नामोदिष्ट क्षेत्र शामिल होंगे, एक संकेतात्मक सूची परिशिष्ट-II में दी गई है ।

(ii) तटीय जोन प्रबंधन जोन-II (सी एम जैड-II) में सी एम जैड I से इतर क्षेत्र और तटीय जल, जिन्हें विशेष महत्व वाले क्षेत्र ' के रुप में पहचाना गया है, जैसे आर्थिक रुप से महत्वपूर्ण क्षेत्र, उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, और सांस्कृतिक और, अथवा रणनीतिक महत्व के क्षेत्र शामिल हैं । इन ` विशेष महत्व वाले क्षेत्रों ' की प्रशासनिक सीमाएं सी. एम जेड-II की सीमाएं होंगी । ऐसे क्षेत्रों की एक व्यापक सूची परिशिष्ट III में दी गई हैं।

(iii) तटीय प्रबंधन जोन-III (सी एम जैड-III) में तटीय जल और ज्वार प्रभावित आन्तरिक जल निकाय अर्थात् सी एम जेड-I, II और IV में वर्गीकृत सभी क्षेत्रों को छोड़कर,अन्य सभी खुले क्षेत्र शामिल होंगे ।

(iv) (क) तटीय प्रबंधन जोन-IV (सी एम जेड-IV) में अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप के द्वीपीय क्षेत्र और अन्य अपतटीय द्वीपसमूह शामिल है ।

(ख) तटीय बैकवाटर्स क्षेत्रों में द्वीपसमूहों के संबंध में, जिन्हें सी एम जैड I अथवा सी एम जेड-ii क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है, ऐसे क्षेत्रों को स्थानीय प्राधिकरण के विकल्प पर सी एम जैड-IV में शामिल किया जा सकता है । विकल्प का एक बार चयन करने के पश्चात् स्थानीय प्राधिकरण को चुनने के लिए कोई बदलाव नहीं किया जाएगा ।

5 (i) राष्ट्रीय सतत तटीय जोन प्रबंधन बोर्ड

बोर्ड को जिसमें बत्तीस से अधिक सदस्य नहीं होंगे, का कार्य तटीय ज़ोन प्रबंधन से संबंधित मामलों पर केन्द्र सरकार को नीतिगत सलाह देने का अधिदेश होगा परंतु यह विनियामक कार्य शुरु नहीं करेगा । बोर्ड का गठन परिशिष्ट iv में दिए गए अनुसार होगा । बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल मात्र तीन वर्ष होगा ।

(ii) राष्ट्रीय और राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रदेश प्रबंधन प्राधिकरण : पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय और राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रदेश तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण होंगे ।

6. प्रबंधन कार्य प्रणाली :- तटीय जोन के लिए प्रबंधन की कार्य प्रणाली और एप्रोच निम्न अनुसार होगी

(i) **सेट बैक लाइन की अधिसूचना :** केन्द्र सरकार द्वारा केडास्ट्राल मैप पर सी एम जैड-I और सी एम जैड-iv के अलावा पूरे तट के लिए सेट बैक लाइन एक अथवा अधिक स्थानों पर एक बार ही अधिसूचित की जाएगी । इसके लिए केन्द्र सरकार परिशिष्ट -I में दिए गए दृष्टिकोण के आधार पर

विस्तृत तकनीकी दिशानिर्देश जारी करेगी । यह अधिसूचना भू सर्वेक्षणों और मैपिंग में विशेषज्ञता रखने वाले ऐसे सक्षम और स्थापित वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा तैयार की गई रूपरेखा पर आधारित होगी, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले ऐसे संस्थानों के सेट में शामिल किया गया हो । तब तक स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत क्षेत्र के बारे में सैटबैक लाइन पर तटीय जोन प्रबंधन अधिसूचना 1991 के उपबंध के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित इन तकनीकी दिशानिर्देशों के अनुसार लागू होंगे ।

(ii) **तटीय प्रबंधन जोन-।** परिशिष्ट-।। में दी गई प्रजाति सूची के अनुसार तटीय जोन में पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान केन्द्र सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकार अथवा केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन के साथ संयुक्त रूप से नेशनल इंस्टीट्यूट फार सस्टेनेबल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथवा तटीय संसाधन प्रबंधन में विशेषज्ञता रखने वाले और केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित एक अथवा अधिक सक्षम एवं स्थापित वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराई गई तकनीकी सहायता से की जाएगी । सीएमजेड-। क्षेत्रों में सभी क्रियाकलाप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल कोस्टल जोन मैनेजमेंट या तटीय संसाधन प्रबंधन में विशेषज्ञता रखने वाले तथा केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित एवं पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित एक या अधिक सक्षम और स्थापित वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों की सहायता से तैयार किए जाने वाले एक एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन योजना (आई सी जेड एम पी) के आधार पर राज्य अथवा संबंधित केन्द्र प्रशासित कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा विनियमित की जाएगी । सी एम जेड-। क्षेत्रों के लिए तैयार की गई इंटीग्रेटिड कोस्टल जोन मैनेजमेंट योजना केन्द्र सरकार द्वारा समर्थित की जाएगी । तैयार की गई आई सी जेड एम पी, स्थानीय समुदायों की सुरक्षा और आजीविका आवश्यकताओं और आवश्यक विकास को ध्यान में रखकर, पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील अधिसूचित क्षेत्रों की उचित सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करेंगी । उस क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय समुदायों को मछली पकड़ने और मत्स्य पालन संबंधी कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी । राज्य सरकार अथवा केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा आई सी जेड एम पी के कार्यान्वयन की मानीटरी, संबंधित राज्य या यूनियन टेरिटरी कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी और नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा की जाएगी।

बशर्ते कि ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के विकास और वर्तमान एयरपोर्ट के विस्तार और आधुनिकीकरण से संबंधित परियोजनाओं को तटीय पर्यावरणीय हानि की पूर्ति के लिए पर्याप्त पर्यावरणीय सुरक्षा

उपाय शामिल करके विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर मामला दर मामला आधार पर शुरु किया जाएगा ।

(iii)तटीय विनियमन जोन-II तटीय नगर पालिकाओं अथवा निगमों के क्षेत्रों में और 400 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाली तटीय पंचायतों की प्रशासनिक सीमाओं में आने वाले क्रियाकलापों को केन्द्रीय सरकार से अनुमोदित एक एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन योजना के आधार पर विनियमित किया जाएगा । उपरोक्त प्रशासनिक सीमाओं में सैटबैक लाइन से समुद्र की ओर प्रस्तावित गतिविधियों को यह सुनिश्चित करने के लिए विनियमित किया जाएगा कि तट के लिए आवश्यक सुविधाओं और आधारभूत अवसंरचना के अतिरिक्त कोई अन्य विकास कार्य नही किया जाएगा ।

सेटबैक लाइन से भूमि की ओर विकास कार्य को इस अधिसूचना के दिन मौजूद स्थानीय टाउन एंड कन्ट्री प्लानिंग नियमों के अनुसार किया जाएगा । उपरोक्त क्षेत्रों के लिए तैयार की गई एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन योजना में परिशिष्ट-V में दिए गए दिशा-निर्देशों का ध्यान रखा जाएगा ।

संबंधित राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश सरकार द्वारा पहचाने गए आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में कार्यों के लिए तैयार की गई एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन योजना के अनुसार विनियमित किया जाएगा । एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन योजना को केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के पश्चात् संबंधित राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा ।

रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में, रक्षा मंत्रालय एक एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन योजना तैयार करेगा और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा । ऐसी योजनाओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित एक विशेष समिति द्वारा मंजूरी प्रदान की जाएगी ।

(iii) तटीय प्रबंधन जोन-III : सेटबैक लाइन से समुद्र की ओर अनुमत अथवा प्रतिबंधित विविध गतिविधियां और उत्तरदायी अभिकरण परिशिष्ट-VI में दिए गए हैं । सेटबैक लाइन से समुद्र की ओर मौजूदा रिहायशी इकाइयों और मौजूद अन्य अवसंरचनाओं को डिस्टर्ब/पुन: स्थापित नही किया जाएगा। पारम्परिक समुदायों द्वारा मछली पकड़ने से संबंधित किसी भी कार्य में व्यवधान नहीं डाला जाएगा।

(iii) **तटीय प्रबंधन जोन-IV :** सभी गतिविधियां अनुमोदित एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन योजना के अनुरुप होंगी, जिन्हें प्रत्येक मामले में संबंधित राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा । एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन योजनाएं तैयार करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रवालों, कच्छ वनस्पतियों, संकटापन्न प्रजातियों के प्रजनन और अण्डजनन क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों के लिए आवश्यक न्यूनतम अनिवार्य गतिविधियों के अतिरिक्त किसी विकास कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

7 तटीय विनियिमन जोन अधिसूचना, 1991 का प्रचालन :

तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 1991 निम्नलिखित में कार्य करना बंद कर देगी :

(क) सी एम जेड-I क्षेत्र में, संबंधित एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन योजना की अधिसूचना की तारीख से ।

(ख) सी एम जेड-II क्षेत्र में, सेटबैंक लाइन और एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन योजना की अधिसूचना की तारीख से ।

(ग) सी एम जेड-III क्षेत्र में, सेटबैंक लाइन की अधिसूचना की तारीख रो ।

(घ) सी एम जेड-iV क्षेत्र में, संबंधित आई सी जैड एम पी की अधिसूचना की तारीख से ।

परिशिष्ट-I

सेटबैंक लाइन

तटीय प्रबंधन जोनों में सी एम जैड-I,II और III के रूप में वर्गीकृत सेटबैंक लाइनें, तटों के प्राकृतिक और मानवजनित खतरों की नाजुकता पर आधारित होगी । इस प्रक्रिया का कई देशों में अनुसरण किया जाता है, जहां पर तटों को तटीय खतरों की नाजुकता के लिए मानचित्रित किया गया है ।

तटों की नाजुकता के मानचित्रण के उद्देश्य से:ऊंचाई, भू-आकृतिविज्ञान,समुद्र स्तरीय रुझान और क्षैतिज तटरेखा विस्थापन (वृद्धि या अपरदन) चार मानदंडो को ध्यान में रखा जाता है । सेटबैंक लाइन का निर्धारण करने के लिए विचार किए जाने वाले प्रत्येक मानदंड पर संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

(i) एलिवेशन : एलिवेशन डाटा उपलब्ध तटीय टोपोशीटस से प्राप्त किया जाएगा और उपग्रह डाटा 0.5 और 1 मीटर की रूपरेखा वाले फासलों का सर्वेक्षण करता है ।

(ii) जियोमोरफोलॉजी : उपलब्ध टोपोशीट और दूर संवेदी डाटा पर आधारित मानचित्रों के आधार पर भूमि की पहचान की जाएगी ।

(iii) समुद्र स्तरीय ट्रेन्ड : समुद्र स्तरीय ट्रेन्ड डाटा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी पैनल (आई.पी.सी.सी.) की रिपोर्टों पर आधारित होगा ।

(iv) समतल समुद्र तटीय विस्थापना : समतल समुद्र तटीय विस्थापन का कटाव या अभिवृद्धि संबंधी डाटा भारतीय टोपोग्राफिक मानचित्रों के सर्वेक्षण (1967) और नवीन उपग्रह डाटा से प्राप्त दीर्घकालीन सूचना से प्राप्त किया जाएगा। समतल समुद्र तटीय विस्थापना को आगामी 100 वर्षों तक के (मीडियन अनुमान) पर आंकलित किया जाएगा ।

सेटबैक लाइन की रूपरेखा के लिए आगे विस्तृत तकनीकी दिशानिर्देश केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा दिए जाएंगे ।

इस अधिसूमचना के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि में मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेन्सी या एन.आई.एस.सी.एम. द्वारा कडस्ट्रल स्केल पर सी.एम.जैड-।। और ।।। क्षेत्रों के लिए मंत्रालय द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों का इस्तेमाल करते हुए उपर्युक्त पैरामीटरों पर आधारित सेटबैक लाइन की सीमा का निर्धारण किया जाएगा ।

परिशिष्ट - II

सी एम जैड - । पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्रों (ई.एस.ए.) को दर्शाने वाली सूची

(i) गर्म जलवायु वाले वृक्ष (मैंग्रोव)

(ii) कौरल रीफ

(iii) रैंड

(iv) मडफ्लैटस

(v) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत समुद्री वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र

(vi) समुद्री कटावों (क्रीक), झीलों आदि जैसे तटीय स्वच्छ जल क्षेत्र

(vii) साल्ट मार्छिज

(viii) टरटल नेस्टिंग ग्राऊंड ।

(ix) हार्स शू क्रेव निवास स्थल ।

(x) समुद्री घास सतह ।

(xi) समुद्री घास -पात वाली सतह ।

(xii) पक्षियों के घोंसलों वाले स्थल ।

परिशिष्ट-III

सी एम जैड- II : विशिष्ट महत्वपूर्ण क्षेत्रों को दर्शाने वाली सूची

(क) तटीय नगर पालिका/ निगम (समग्र विनिर्दिष्ट क्षेत्र)

(ख) नवीनतम भारतीय जनगणना के अनुसार 400 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0 मी0 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाली तटीय पंचायतें ।

(ग) पत्तन और बन्दरगाह ।

(घ) विनिर्दिष्ट पर्यटन क्षेत्र ।

(ङ.) खनन क्षेत्र ।

(च) विनिर्दिष्ट औद्योगिक सम्पदाएं ।

(छ) विशेष आर्थिक जोन के लिए तटाग्र सुविधाएं ।

(ज) विरासत क्षेत्र ।

(ञ) संरक्षित स्मारक अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट पुरातत्वीय क्षेत्र

(ट) रक्षा क्षेत्र / संस्थापना ।

(ठ) ऊर्जा संयंत्र ।

(ड) ग्रीन फील्ड विमानपत्तन तथा मौजूदा विमानपत्तनों का विस्तार तथा आधुनिकीकरण ।

परिशिष्ट-iv

सतत तटीय क्षेत्र प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय बोर्ड का गठन

1)	केन्द्रीय मंत्री, पर्यावरण और वन	-	अध्यक्ष
2)	केन्द्रीय मंत्री, प्रभारी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	-	सह- अध्यक्ष
3)	सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय	-	सदस्य सचिव
4)	विशेषज्ञ (नाम से)निम्नलिखित क्षेत्र में :		
	तटीय पारि-प्रणालियों में	-	1

	समुद्र जीवविज्ञान	-	1
	समुद्र संबंधी कानून	-	1
	मौसम विज्ञान	-	1
	आपदा प्रबंधन	-	1
	पर्यावरणीय अर्थशास्त्र	-	1
5.	राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिनिधि	-	1
6.	रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि	-	1
7.	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रतिनिधि	-	1
8.	शहरी विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि	-	1
9.	पंचायती राज मंत्रालय के प्रतिनिधि	-	1
10.	मुख्य भूमि तटीय जनसंख्या के सामुदायिक आधारित संगठनों के प्रतिनिधि	-	3
11.	मछुआरों के प्रतिनिधि (1 पुरुष और 1 महिला)	-	2
12.	एक्वाकल्चर, पर्यटन, उद्योगों, खनन, तटों, क्षेत्रों के प्रतिनिधि	-	4
13.	तटीय ग्रामीण जिला पंचायतों के प्रतिनिधि	-	3
14.	तटीय शहरी स्थानीय प्राधिकरणों के प्रतिनिधि	-	3
15.	अंदमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूहों के प्रतिनिधि	-	3

परिशिष्ट-V

सी एम जेड II क्षेत्रों के लिए समेकित प्रबंध योजना को तैयार करने के लिए दिशानिर्देश

(i) समूचा अधिसूचित निगम, नगर पालिका, पंचायत, राजस्व क्षेत्र, ए जी सी की बाहरी चाहरदीवारी होगी।

(ii) सभी वर्तमान और भविष्य के विकास, संरक्षण और संवर्धन स्कीमों को दर्शाते हुए इन क्षेत्रों के लिए आई सी जेड एम पी तैयार किया जायेगा।

(iii) आई सी जेड एम पी, पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा तैयार किये गए सेटबैक लाइनों के आधार पर मानव जीवन और संपत्ति के प्रति अतिसंवेदनशीलता का समाधान करेगा।

(iv) क्षेत्र में किसी मौजूदा अनुमोदित इमारत(2008 तक) की समुद्रवर्ती दिशा अथवा कोलतार से बनी अथवा सतही मार्ग पर किसी निर्माण गतिविधि को अनुमति किया जायेगा।

(v) अंदरुनी मार्गों सहित सभी मौजूदा मार्गों को मजबूत बनाया जायेगा क्योंकि ये मार्ग विशेषरूप से मछुआरा समुदायों के आजीविका संचार, राहत और निकासी उपायों के प्रयोजनों को पूरा करेंगे।

(vi) क्षेत्र की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए समुचित चक्रवाती आश्रय स्थलों का निर्माण किया जाना चाहिए ।

(vii) नए स्कूलों, बाजारों और अन्य लोक सुविधाओं वाली जगहों को जहां अधिक संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, संवेदनशील इलाकों से दूर रखा जाए ।

(viii) समुद्राभिमुख क्षेत्र के आस-पास कच्छ वनस्पति सहित स्थानीय वनस्पति वाला पर्याप्त जैव-शील्ड पेड़ उगाए जाने चाहिए ।

(ix) समुद्र-तटों पर कोई विकास न किया जाए ।

(x) वैज्ञानिक आधार पर जहां भी आवश्यक हो, उपयुक्त तटीय सुरक्षा ढांचे बनाए जाएं ।

(xi) सेटबेक-रेखा के लैन्डवर्ड पर नए घर तथा बस्तियाँ नियोजित की जानी चाहिए ।

(xii) झाड़ियों को उगाकर अथवा उपयुक्त उपायों के माध्यम से, आपदा की स्थिति में प्राकृतिक गति अवरोधक के रूप में रेत के टीले बनाए अथवा पुन: स्थापित किए जाने चाहिए ।

(xiii) सी एम जेड I के रूप में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सभी क्षेत्रों को उनके संरक्षण के लिए योजना में स्पष्टत: सीमांकित किया जाना चाहिए ।

(xiv) आई सी जेड एम पी, मंत्रालय के प्रस्तावित एन आई एस सी एम द्वारा या मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित होंगे ।

(xv) मछली पकड़ने और मात्सियकी, से संबंधित सभी कार्य-कलापों के बारे में कोई विनयामक नहीं होना चाहिए ।

(xvi) प्रवर्तन और मानीटरी की जिम्मेदारी, संबंधित राज्य अथवा संघ क्षेत्र तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण की होगी ।

परिशिष्ट-VI

सी एम जेड III: सेटबेक लाइन में समुद्राभिमुख क्षेत्र में अनुमित विकासात्मक कार्यकलाप

(i) सी एम जेड स्वीकृति के बिना स्थानीय अथवा संबंधित प्राधिकरणों द्वारा अनुमत कार्य-कलाप

(क) नौका-विहार, पोत-परिवहन और नौयात्रा

(ख) परम्परागत मत्स्य प्रसंस्करण, आईस प्लांटों और आईस क्रशिंग सुविधाओं सहित मात्सियकी

(ग) हेचरिस और परम्परागत एक्वाकलचर सहित समुद्रीविज्ञान

(घ) कृषि और उद्यान कृषि

(ङ) जन शौचालय और वर्षा अथवा चक्रवाती आश्रय स्थल

(च) पुन: निर्माण कार्यकलापों सहित मौजूदा भवनों अथवा अवसंरचना की मरम्मत

(ii) राज्य अथवा संघ शासित तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के अनुमोदन से किए जाने वाले कार्यकलाप ।

(क) पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के साथ अनुमोदित किए जाने वाली वोट जेटीस (नाव घाटों) और मछली पकड़ने के लिए बन्दरगाहों का निर्माण ।

(ख) साल्टपेन्स- समुद्री जल के सौर वाष्पीकरण द्वारा नमक बनाना ।

(ग) पर्यटन सुविधाओं के लिए अस्थायी निर्माण ।

(घ) वाटर स्पोर्ट्स और मनोरंजन सुविधाएं ।

(ङ.) मानदण्डों का अनुपालन करते हुए उपचारिक बहि:स्रावों की निस्तारण सुविधाएं ।

(च) वन संबंधी कार्यकलाप ।

(छ) मरम्मत और री-फ्यूलिंग सहित नाव निर्माण ।

(iii) कार्यकलाप जो पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन और पर्यावरणीय प्रबंधन योजना कार्यों के साथ अनुज्ञेय हो सकते हैं, को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाना है ।

(i) एकीकृत पत्तन, बंदरगाह, घाट और लगंर सुविधाएं ।

(ii) तलकर्षण और तलकर्षण सामग्रियों का निपटान ।

(iii) पत्तन सीमाओं और तटीय सुरक्षा के लिए सुधार ।

(iv) कच्छ वनस्पतियों और अन्य बायोशील्डस सहित तटीय सुरक्षा उपाय ।

(v) पुलों और सतुद्री संपर्क और पहुंच मार्गों का सुधार ।

(vi) तटीय अपरदन, लवणीय प्रवेश को रोकने के उद्देश्य के लिए बांध बनाना और जलमार्गों का रखरखाव।

(vii) हाइड्रो कार्बन अन्वेषण और निष्कर्षण ।

(viii) प्लेसर खनिजों का खनन और अपतटीय ।

(ix) संप्रेषण, विद्युत लाइटहाऊसों और जल पूर्ति का विनिर्माण

(x) पेट्रोलियम अथवा रसायनों के हस्तांतरण के लिए पाइपलाइन, पेट्रोलियम अथवा ररायन उत्पादों के भंडारण के लिए भंडारण सुविधाएं और पुन : गैसीगरण सुविधाएं ।

(xi) रक्षा संबंधित परियोजनाएं ।

(xii) जहाज निर्माण यार्ड्स ।

(xiii) मौजूदा स्थलों में शिप-ब्रेकिंग ।

(xiv) विडंमिल्स सहित अपारम्परिक ऊर्जा ।

(xv) कोई अन्य कार्यकलाप जिसमें तटाग्र सुविधाएं अपेक्षित हों ।

(xvi) ग्रीन फील्ड विमानपत्तन तथा मौजूदा विमानपत्तनों का विस्तार और आधुनिकीकरण ।

(xvii) अन्य सभी कार्यकलाप जो ऊपर सूचीबद्ध नहीं है, प्रतिबंधित हैं ।

[फा. सं. 11-83/2005-आईए-III]
डॉ. नलिनी भट्ट, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2008

S.O. 1761(E).—Whereas the Central Government in the Ministry of Environment and Forests had vide its notification No. S.O. 1070(E) dated the 1st May, 2008 notified a draft Coastal Management Zone (hereinafter referred to as the said notification) inviting objections or suggestions on the proposals contained in the said notification in writing within a period of sixty days from the date of issue of the said notification, i.e., till the 30th June, 2008;

And whereas the Central Government has now received many representations and requests from the State Governments including the stakeholders for extending the time limit for seeking objections or suggestions;

And whereas the Central Government while considering the concerns expressed by the State Governments and stakeholders, have decided in the public interest to go for re-publishing the said notification and giving opportunity to the public affected thereby in making objections and suggestions on the proposals contained therein with in a period of sixty days from the date of re-publication of this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government proposes to issue a notification to be known as the Coastal Management Zone (CMZ) Notification, 2008, for the information of the public likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft Notification will be taken into consideration by the Central Government on and after the expiry of sixty days from the date of publication of said notification in the Official Gazette.

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft Notification may do so in writing within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110003, or electronically at e-mail address: secy@menf.nic.in .

"Draft Notification

Whereas the Central Government in the Ministry of Environment and Forests issued the Coastal Regulation Zone Notification vide No. S.O.114(E) dated the 19th February 1991, under which coastal stretches were declared Coastal Regulation Zones (CRZ) and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said Zones for its protection ;

And whereas the said notification has been amended from time to time based on recommendations of various committees, judicial pronouncements, representations from State Governments, Central Ministries, and the general public, etc., consistent with the basic objective of the said Notification;

And whereas perceiving the continuing difficulties posed by the Notification in its effective implementation for the sustainable development of coastal regions as well as conservation of coastal resources, the Ministry of Environment and Forests constituted an Expert Committee vide Order No.15(8)/2004-IA-III, dated the 19th July, 2004 under the Chairmanship of Prof. M. S. Swaminathan, with experts in the areas of environmental law, marine biodiversity, marine geology, environmental economics, socio-economics, remote sensing, coastal engineering, urban planning, and marine fisheries to carry out a comprehensive review of the said Notification including all its amendments in the light of findings and recommendations of previous Committees, judicial pronouncements, representations of various stakeholders, and suggest suitable amendments, if necessary, to make the coastal regulatory framework consistent with well established scientific principles of Coastal Zone Management;

And whereas the above Expert Committee had submitted its report to the Ministry of Environment and Forests in February, 2005 containing specific recommendations to build on the strengths of existing regulations and institutional structures and fill gaps for conservation and improving the management of the coastal resources by enhancing the living and non-living resources of the coastal zone; by ensuring protection to coastal populations and structures from risk of inundation from extreme weather and geological events; and by ensuring that the livelihood security of coastal populations is strengthened;

And whereas the Central Government in the Ministry of Environment and Forests after carefully considering the above report and all the recommendations made therein have decided to accept them in principle for implementation;

And whereas in accordance with the above decision, the Central Government proposes to bring into force a new framework for managing and regulating activities in the coastal and marine areas for conserving and protecting the coastal resources and coastal environment; and for ensuring protection of coastal population and structures from risk of inundation due to natural hazards; and for ensuring that the livelihoods of coastal populations are strengthened; by superseding the said Coastal Regulation Zone, Notification, 1991;

And whereas, in addition to the above the Central Government has decided to consider the proposal for developing green field airports and to undertake expansion and modernisation of existing airports in the coastal areas, without compromising environmental considerations;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub section 2 of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 and in supersession of the notification published vide S.O.114(E) dated the 19th February, 1991, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government proposes to issue a notification to be known as the Coastal Zone Management (CMZ) notification, 2008, namely:—

1. (i) This notification may be called the Coastal Management Zone Notification, 2008.

(ii) It shall come into force on the date of its final publication in the Official Gazette.

2. Objective.-

The Objective of this Notification is protection and sustainable development of the coastal **stretches** and marine environment through sustainable coastal zone management practices based on sound scientific principles taking into account the vulnerability of the coast to natural hazards, sustainable livelihood security for local communities, and conservation of ecologically and culturally significant coastal resources.

3. Definitions.- In this Notification, unless the context otherwise requires,-

(a) "**Coastal Zone**" means the area from the territorial waters limit (12 nautical miles measured from the appropriate baseline) including its sea bed, the adjacent land area along the coast, and inland water bodies influenced by tidal action including its bed, upto the landward boundary of the local self government or local authority abutting the sea coast, provided that in case of ecologically and culturally sensitive areas, the entire biological or physical boundary of the area may be included, as specified under the provisions of Environment Protection Act, 1986;

(b) **"Integrated Coastal Zone Management (ICZM)"** means a process by which decisions are made for protection of coastal population and infrastructure, protection and conservation of coastal and marine areas and resources and sustainable development;

(c) **"Integrated Coastal Zone Management Plan (ICZMP)"** is the landuse plan or development plan prepared for implementation of the Integrated Coastal Zone Management;

(d) **"Local Self Government or Local Authority"** means a village Panchayat, or a urban local body, or any other body or authority, by what ever name called, for the time being invested by law, for rendering essential services or, with control and management of civic services, within a specified local area abutting the sea coast or inland tidal water having tidal action.

(e) "***Setback** Line*" means a line demarcated along the coast, based on its vulnerability to sea-level rise, flooding and shore line changes as per Guidelines given in this notification in Appendix -I.

(f) **"*Ecologically* Sensitive Areas"** are those areas of the coastal zone that play an important role in maintaining the functional integrity of the coast, including acting as natural barriers to coastal hazards and, or harbouring a diverse biodiversity that provide valuable resources to local communities.

4. Categorization of the Coastal Zone.- For the purposes of management and regulation, the coastal zone shall be divided into four categories, namely:-

(i) Coastal Management Zone - I (CMZ -I) shall consist of areas designated as Ecologically Sensitive Areas (ESA), an indicative list is given in Appendix –II.

(ii) Coastal Management Zone - II (CMZ - II) shall consist of areas, other than CMZ - I and coastal waters, identified as "Areas of Particular Concern (APC)" such as economically important areas, high population density areas, and culturally and, or strategically important areas. The administrative boundaries of these "Areas of Particular Concern" would be boundaries of CMZ - II. A generic list of such areas is given in Appendix –III.

(iii)Coastal Management Zone -III (CMZ - III) shall consist of all other open areas including coastal waters and tidal influenced inland water bodies, that is, all areas excluding those classified as CMZ - I, II and IV.

(iv) (a) Coastal Management Zone -IV (CMZ - IV) shall consist of island territories of Andaman and Nicobar, Lakshadweep, and other offshore islands.

[redacted]

2755 GI/08-3

(b) In respect of the islands in coastal backwaters areas which are not included in CMZ - I or CMZ - II, such areas may be included in CMZ - IV at the option of the Local Authority; otherwise they would be included in CMZ - III. Once exercised, the option of the Local Authority would not be subject to change.

5. (i) National Board for Sustainable Coastal Zone Management.-

This Board consisting of not more than thirty two Members shall have the mandate to provide policy advice to the Central Government on matters relating to coastal zone management, but shall not undertake regulatory functions. The composition of the Board shall be as given in Appendix – IV. The term of the non-official members of the Board shall be three years only.

(ii) National and State or UT Coastal Zone Management Authorities

The National and State or Union territory Coastal Zone Management Authorities set up under the Environment (Protection) Act, 1986, shall be the Coastal Zone Management Authorities.

6. Management Methodology.- The management methodology and approach for the Coastal Management Zone shall be as follows:

(i) **Notification of the Setback Line**: The Setback Line, for the entire coast, excluding CMZ-I and CMZ - IV areas, will be notified in one or more stretches at a time in a map on cadastral scale by the Central Government. For this purpose, the Central Government shall issue detailed technical guidelines, based on the approach set forth in Appendix - I. The notification shall be based on the delineation to be carried out by the competent and established scientific institutions specializing in earth surveys and mapping, among a set of such institutions to be notified by the Central Government. Till the Setback Line in respect of area under each local authority as per these technical guidelines is notified by the Central Government the provisions of the Coastal Regulation Zone Notification, 1991 shall prevail.

(ii) Coastal Management Zone - I : The ecologically sensitive areas as per generic list given in Appendix - II shall be identified within the coastal zone by the Central Government jointly with the concerned State Government or Union territory Administration, with the technical assistance provided by the National Institute for Sustainable Coastal Zone Management or one or more competent and established scientific research institutions specializing in coastal resources management, and notified by the Central Government. All activities in CMZ - I areas shall be regulated by the State or Union territory Coastal Zone Management Authority concerned on the

basis of an Integrated Coastal Zone Management Plan (ICZMP) to be prepared by the concerned State or Union territory Administration with the help of National Institute of Sustainable Coastal Zone Management or one or more competent and established scientific research institutions specializing in coastal resources management, and notified by the Central Government and notified under Environment (Protection) Act, 1986. The Integrated Coastal Zone Management Plans prepared for CMZ-I areas would be endorsed by the Central Government. The ICZMPs prepared shall ensure proper protection and conservation of all ecological entities within the notified ecologically sensitive areas keeping in view the safety and livelihood needs of the local communities and essential development. There shall be no restriction in the fishing and fisheries related activities of local communities living in the area. The implementation of the ICZMPs by the State Government or Union territory Administration shall be monitored by the concerned State or Union territory Coastal Zone Management Authority and by the National Coastal Zone Management Authority.

Provided that the projects pertaining to the development of green field airports and expansion and modernisation of existing airports shall be undertaken on case to case basis based on detailed scientific study incorporating adequate environmental safeguard measures required for neutralising damage to the coastal environment.

(iii) Coastal Management Zone – II: In the administrative boundaries of areas of the Coastal Municipalities or Corporation and coastal Panchayat with population density of more than 400 persons per sq. km, activities shall be regulated based on an Integrated Coastal Zone Management Plan approved by the Central Government. The activities proposed on the seaward side of the setback line in the above administrative boundaries shall be regulated to ensure that no further development takes place other than foreshore requiring facilities and basic infrastructure.

The development on the landward side of the setback line shall be as per the local town and country planning rules as existed on the day of this notification. The Integrated Coastal Zone Management Plan prepared for the above areas shall take into account the guidelines laid down in Appendix-V.

With regard to economically and culturally important areas as identified by the concerned State or Union territory Governments, the activities shall be regulated as per Integrated Coastal Zone Management Plan prepared. The Integrated Coastal Zone Management Plan will be implemented by the concerned State or Union territory Governments after the plans are approved by the Central Government.

With regard to strategically important areas, the Ministry of Defence would prepare an Integrated Coastal Zone Management Plan and submit to the Ministry of Environment and Forests. Such plans would be accorded clearance by a Special Committee constituted by the Central Government.

(iv) Coastal Management Zone - III: The activities that may be permitted or prohibited on the seaward side of the setback line and agencies responsible are given in Appendix-VI. The existing dwelling units and other infrastructure existing on the seaward side of the setback line shall not be disturbed/relocated. No activities relating to fishing by traditional communities shall be disturbed.

(v) Coastal Management Zone – IV: All activities shall conform to the approved Integrated Coastal Zone Management Plans, which shall be determined in each case by the concerned State or Union territory Coastal Zone Management Authority. While, preparing the Integrated Coastal Zone Management Plans it shall be ensured that no developments are permitted in the corals, mangroves, breeding and spawning of endangered species other than those minimum essential activities required for local communities.

7. Operation of the Coastal Regulation Zone Notification 1991.-

The Coastal Regulation Zone Notification, 1991 shall cease to operate within:

(a) CMZ - I area, from the date of Notification of the concerned Integrated Coastal Zone Management Plan.

(b) CMZ - II area, from the date of Notification of the Setback Line and approval of Integrated Coastal Zone Management Plan.

(c) CMZ - III area, from the date of Notification of the Setback Line.

(d) CMZ - IV area, from the date of Notification of the concerned ICZMP

Appendix-I

SETBACK LINE

The Setback Lines in the coastal management zones categorised as CMZ – I, II and III will be based on vulnerability of the coast to natural and manmade hazards. This procedure is followed in many countries where the coast has been mapped for vulnerability to coastal hazards.

For the purpose of mapping the vulnerability of the coast four parameters are taken into account: elevation, geomorphology, sea level trends, and horizontal shoreline displacement (erosion or accretion). A brief on each of the parameters which are to be considered for drawing up the Setback Line are given below:

(i) **Elevation**: The elevation data shall be obtained from the available coastal toposheets and satellite data surveys with contour intervals of 0.5 and 1meter.

(ii) **Geomorphology**: The land forms will be identified on the maps based on the available toposheet and remote sensing data. Bathymetry to be derived from naval Hydrographic Charts on location specific surveys

(iii) **Sea level trends**: The sea level trend data shall be based on the reports of the United Nations Inter-Governmental Panel on Climate Change (IPCC).

(iv) **Horizontal shoreline displacement**: The erosion or accretion data of horizontal shoreline displacement shall be obtained from long term information derived from Survey of India Topographic maps (1967) and the latest satellite data. Horizontal shoreline displacement shall be estimated (median estimate) over the next 100 years.

Further detailed Technical Guidelines for delineation of the Setback Line may be provided by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests.

The setback line shall be demarcated based on the above parameters using the guidelines as approved by the Ministry for CMZ-II and III areas on cadastral scale by NISCM or any other agency authorised by the Ministry within a period of two years from the date of issue of this notification.

Appendix-II

CMZ - I: INDICATIVE LIST OF ECOLOGICALLY SENSITIVE AREAS (ESA)

(i) Mangroves

(ii) Coral reefs

(iii) Sand Beaches and Sand Dunes

(iv) Mudflats

(v) Marine wildlife protected areas under the Wildlife (Protection) Act, 1972

(vi) Coastal freshwater bodies such as creeks, lakes, etc

(vii) Salt Marshes

(viii) Turtle nesting grounds

(ix) Horse shoe crabs habitats

(x) Sea grass beds

(xi) Sea weed beds

(xii) Nesting grounds of birds

Appendix- III

CMZ - II: THE INDICATIVE LIST OF AREAS OF PARTICULAR CONCERN

a) Coastal Municipalities/Corporations (the entire notified area)

b) Coastal Panchayats with population density more than 400 persons per sq km (the entire notified area) as per the latest Census of India.

c) Ports and Harbours

d) Notified Tourism Areas

e) Mining sites

f) Notified Industrial Estates

g) Foreshore facilities for Special Economic Zones

h) Heritage areas

i) Notified Archaeological sites under the Protected Monuments Act.

j) Dfence areas/installations

k) Power Plants

l) Green field airports and expansion and modernization of existing airports

Appendix-IV

COMPOSTION OF NATIONAL BOARD FOR SUSTAINABLE COASTAL ZONE MANAGEMENT

1. Union Minister for Environment and Forests - Chair
2. Union Minister in-charge of Ministry of Earth Sciences - Co-Chair
3. Secretary, Ministry of Environment and Forests - Member Secretary
4. Experts (by name) in:

Coastal ecosystems -	1
Marine biology -	1
Maritime law -	1
Meteorology -	1
Disaster Management -	1
Environmental Economics -	1

5. Representative of the National Commission for Women -	1
6. Representative of the Ministry of Defence -	1
7. Representative from Indian Space Research Organization -	1
8. Representative of the Ministry of Urban Development -	1
9. Representative of the Ministry of Panchayati Raj -	1
10. Representatives of community based organizations of the mainland coastal population -	3
11. Representatives from fishers (1 male and 1 woman) -	2
12. Representatives from aquaculture, tourism, industries, mining, ports, sectors -	4
13. Representatives of coastal Rural District Panchayats -	3
14. Representatives of coastal Urban Local Authorities -	3
15. Representatives of Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands -	3

Appendix-V

GUDELINES FOR PREPARATION OF INTEGRATED MANAGEMENT PLAN FOR CMZ II AREAS

(i) The entire notified Corporation, Municipality, Panchayat, revenue area, shall be the outer boundary of the APC.

(ii) ICZMPs shall be prepared for these areas indicating all present and future developments, conservation and preservation schemes.

(iii) The ICZMP shall address vulnerability to human life and property based on setback lines prepared by Ministry of Environment and Forests.

(iv) No constructions shall be permitted on the seaward side of any existing (as on 2008) approved building or a tarred or surfaced road in the area.

(v) Al the existing roads including the internal roads shall be strengthened, as these roads shall serve for the purpose of livelihood, communication, relief and evacuation measures particularly for fisher communities.

(vi) Adequate cyclone shelters shall be constructed taking into account the population of the area.

(vii) The new schools, market areas and other public facilities where large number of public congregate shall be located beyond the vulnerable area.

(viii) Along the seaward side sufficient bio shield with local vegetation, trees including mangroves shall be planted

(ix) The beaches shall be left free of any development.

(x) Appropriate coastal protection structures be constructed where ever required on a scientific basis

(xi) New houses and settlements shall be planned on landward of the setback line.

(xii) Sand dunes, being natural speed breakers in the event of hazards, shall be maintained or regenerated by planting shrubs or through appropriate measures.

(xiii) All the areas notified by the Ministry of Environment and Forests as CMZ I shall be clearly demarcated in the plan for their conservation.

(xiv) The ICZMPs shall be approved by the proposed NISCM of the Ministry or any other authorized authorities as approved by the Ministry.

(xv) There shall be no regulation with regard to fishing and fishery related activities.

(xvi) The enforcement and monitoring will be the responsibility of the concerned State or Union territory Coastal Zone Management Authorities.

Appendix –VI

CMZ III: PERMISSIBLE DEVELOPMENTAL ACTIVITIES ON THE SEAWARD SIDE OF THE SETBACK LINE

(i) Activities, which are permitted by the local or concerned authorities without CMZ clearance

(a) Boating, shipping and navigation.

(b) Fisheries including traditional fish processing, ice plants and ice crushing facilities.

(c) Mariculture including hatcheries and traditional aquaculture.

(d) Agriculture and horticulture.

(e) Public toilets and rain or cyclone shelters.

(f) Repair of existing buildings or infrastructure including reconstruction activities.

(ii) Activities to be permitted with the approval of State or Union territory Coastal Zone Management Authority

(a) Construction of boat jetties and fishing harbours to be approved with Environmental Impact Assessment.

(b) Saltpans-making salt by solar evaporation of seawater.

(c) Temporary construction for tourism facilities.

(d) Water sports and recreation facilities.

(e) Discharge facilities of treated effluents compiling with the norms.

(f) Forest related activities.

(g) Boat building including repair and re-fuelling facilities.

(iii) Activities that can be permitted with Environmental Impact Assessment and Environmental Management Plan to be approved by Ministry of Environment and Forests.

(i) Integrated port, harbour, jetties and moored facilities.

(ii) Dredging and disposal of dredged materials.

(iii) Reclamation within port limits and for coastal protection.

(iv) Coastal Protection measures including mangroves and other bioshields.

(v) Bridges and sea links and approaches and reclamation therefor.

(vi) Bunding for the purpose of preventing coastal erosion, salinity ingress, maintenance of waterways.

(vii) Hydrocarbon exploration and extraction.

(viii) Mining of placer minerals and offshore mining.

(ix) Constructions of communication, power supply, lighthouses and water supply.

(x) Pipelines for transfer of petroleum or chemicals, storage facilities for storage of petroleum or chemical products and regasification facilities.

(xi) Defence related projects.

(xii) Shipbuilding yards.

(xiii) Ship-breaking in existing locations.

(xiv) Non conventional energy including windmills.

(xv) Any other activity which requires foreshore facilities.

(xvi) Green field airports and expansion and modernization of existing airports

(iv) All other activities not listed above are prohibited.".

[F. No. 11-83/2005-IA-III]

Dr. NALINI BHAT, Scientist 'G'

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.